संख्या-163/2020/515/तेइस-14-2020-4(जनरल)/2020

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।

2- जिलाधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 01 अक्टूबर, 2020**

विषय-संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन।

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रतिपादन शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8(74)/2000-170, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा किया गया है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-499/23-14-2010-73जनरल/2010, दिनांक 10 मई, 2010 द्वारा उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-5.2, 5.3, 5.4.2 एवं 7.4 में संशोधन किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8(74)2000-170, दिनांक 19.09.2002 में उल्लिखित सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-8 के उपप्रस्तर-8.1, 8.3, 8.4 एवं 8.7 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

वर्तमान नियम	**संशोधित नियम**
8- विधान परिषद/विधानसभा के सदस्यों की सहभागिता प्रस्तर 8.1- जिन विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जनपद आते हैं उनको यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे किसी एक जनपद में अथवा यदि चाहें तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक निधि से आच्छादित प्रत्येक/कुछ जनपदों में निधि से योजनाओं हेतु प्रस्ताव दे सकेंगे।	8- विधान परिषद/विधानसभा के सदस्यों की सहभागिता प्रस्तर 8.1- जिन विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जनपद आते हैं यदि वे प्रश्नगत निधि से आच्छादित जनपदों में से किसी एक जनपद के निवासी हैं, तो उन विधान परिषद सदस्यों के गृह जनपद को जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा तथा आंवटित जनपद में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विधानसभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।
प्रस्तर 8.3 विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चयनित किये गये हैं या श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये गये हैं, यदि वे प्रश्नगत निधि से आच्छादित जनपदों में से किसी एक जनपद के निवासी हैं, तो उन विधान परिषद सदस्यों को उनके गृह जनपद का जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा। यदि वे किसी अन्य जनपद को विकल्प के रुप में चुनना चाहते हैं तो उन्हें किसी एक निधि से आच्छादित किसी एक जनपद को उनकी मांग पर आवंटित कर दिया जायेगा। आंवटित जनपद में विधानसभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की भी सहभागिता रहेगी।	प्रस्तर 8.3 विधान परिषद के ऐसे सदस्य, जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चयनित किये गये हैं या मा0 राज्यपाल द्वारा नामित किये गये हैं, यदि वे प्रश्नगत निधि से आच्छादित जनपदों में से किसी एक जनपद के निवासी हैं, तो उन विधान परिषद सदस्यों के गृह जनपद को जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा तथा आंवटित जनपद में विधानसभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।
प्रस्तर 8.4- स्थानीय निकाय से चुनकर आये विधान परिषद सदस्य जो किसी एक जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उक्त जनपद ही आवंटित किया जाय। उनकी सहभागिता उस जनपद में विधान सभा सदस्यों के समान ही होगी। ऐसे विधान परिषद सदस्य जिनका एक से अधिक जनपदों में निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, उनमें उनको आंवटित जनपद वही होगा जहां से वे चुने गये हैं। निधि में उनकी सहभागिता भी विधानसभा सदस्यों के लगभग समान होगी परन्तु उन्हें यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो दूसरे जनपदों की योजनाओं पर संस्तुति कर सकेंगे। प्रथम चयनित जनपद में विधान परिषद सदस्य की मात्राकृत धनराशि से ही दूसरे जनपद की योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत करने की सूचना मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भेज दी जायेगी। प्रथम जनपद और दूसरे जनपद को मिलाकर उतनी धनराशि व्यय की जा सकेगी जितनी प्रथम चयनित जनपद में विधान परिषद सदस्य को मात्राकृत की गयी हो।	प्रस्तर 8.4- स्थानीय निकाय से चुनकर आये विधान परिषद सदस्य जो किसी एक जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उक्त जनपद ही आवंटित किया जायेगा। उनकी सहभागिता उस जनपद में विधान सभा सदस्यों के समान ही होगी। ऐसे विधान परिषद सदस्य जिनका एक से अधिक जनपदों में निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, उन्हें उनके गृह जनपद को जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा तथा आंवटित जनपद में विधानसभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।
प्रस्तर 8.7- जो मा0 विधान परिषद सदस्य एक से अधिक जनपद मण्डल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जनपद का चयन करेंगे जो नोडल जनपद कहलायेगा। उक्त नोडल जनपद चयन किये जाने से पूर्व मा0 विधान परिषद सदस्य सम्बन्धित मण्डलायुक्त को अवगत करायेंगे कि उन्होने	प्रस्तर 8.7- जो मा0 विधान परिषद सदस्य एक से अधिक जनपद मण्डल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें उनके गृह जनपद को जिला निधि योजनाओं की संस्तुति हेतु निर्धारित कर दिया जायेगा तथा आंवटित जनपद में विधानसभा सदस्यों की सहभागिता के समान इन विधान परिषद सदस्यों की सहभागिता रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य जनपद का चयन नोडल जनपद के रुप में नहीं किया है। मण्डलायुक्त इस प्रकार चयनित नोडल जनपदों की सूचना शासन को प्रेषित करेंगे। एक से अधिक मण्डलों में निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित होने की दशा में सम्बन्धित मण्डलायुक्त नोडल जनपद निर्धारित करने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त करेगे।	

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह संशोधन तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। उक्त शासनादेश दिनांक 19.09.2002 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या-163/2020/515(1)/23-14-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
5- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड के जनपद।
12- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
14- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://Shasanadesh.up.nic.in